न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 52/2020 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2020/00074

1. हेतराम पुत्र लाधुराम जाति तरड (बिश्नोई) निवासी वार्ड नं. 8, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू–धारक।

— रेस्पोन्डेंट

उपस्थित: अभिभाषक अपीलांट — श्री बालकिशन शर्मा
अभिभाषक रेस्पोडेंट — राजकीय पैरोकार

निर्णय

दिनांक: 27.11.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 23.04.2012 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत हुई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन होने पर उक्त अपील इस न्यायालय को हस्तांतरित हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 355/6 में 1.581 हैक्टेयर अर्थात् 6.05 बीघा बारानी खातेदारी कृषि भूमि है। अपीलांट की पत्नि श्रीमती कृष्णा देवी उक्त भूमि की खातेदार कृषक है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने आदेश दिनांक 20.12.2011 पारित करते हुए अपीलांट को अतिचारी घोषित कर दिया। अपीलांट ने तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 20.12.2011 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूतरगढ़ में अपील पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 20.12.2011 को सही मानते हुए अपील अपीलांट को दिनांक 23.04.2012 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त बीकानेर

2– अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रपत्र 3 के संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलांट को वादग्रस्त भूमि पर विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना कब्जा कर तारबंदी करने पर अतिचारी घोषित कर दिया, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ में अपील करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर दिया। अपीलांट का विवादित खसरें में किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट की पत्नि स्व. कृष्णा देवी उक्त खसरें में खातेदार है। विवादित खसरें से संबंधित उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.10.2011 के विरूद्ध मृतक कृष्णा देवी के वारिसानों ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष धारा 75 के अंतर्गत अपील पेश की, जिस पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने अपील अपीलांट को स्वीकार करते हुए अपीलांट का बेचान दस्तावेज की रूह से क्रयशुदा भूमि रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिनांक 08.12.2017 पारित कर दिये, जिसकी पालना में तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 02.01.2018 द्वारा अपीलांट कृष्णा देवी की भूमि तरमीम कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ व अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

बीकानेर

3– विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित भूमि की दो बार पैमाईश हो चुकी है। अपीलांट के स्वार्थ की पूर्ति नहीं होने से वह पैमाईश को नहीं मान रहा है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2011 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने भी अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2012 में तहसीलदार सूरतगढ़ के उक्त आदेश को उचित मानते हुए यथावत रखा है, जो कि न्यायोचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेशों को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रपत्र 3 में संलग्न दस्तावेज तथा उभय पक्ष की बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2012 पारित करते हुए तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करने के आदेश को उचित मानते हुए अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त

प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया है। कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 355/6 में बाईपास सड़क सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ के उत्तर में अपीलांट की पत्नी की खातेदारी भूमि स्थित नहीं हैं तथा उक्त भूखण्ड आराजीराज है जिस पर अपीलांट का कब्जा विधिसम्मत नहीं है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2012 उचित एवं त्रुटिरहित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2012 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/11/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर